

पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) एवं कुटुंब पेंशनधारक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि में विस्तार

कोरोना महामारी के कारण पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) से जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुंब पेंशनधारकों से जीवन प्रमाण पत्र तथा Certificate of Non Marriage/ Re-Marriage प्रस्तुत करने की समय सीमा को दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ने का निर्णय किया गया है उक्त समय सीमा में विस्तार कोरोना महामारी को देखते हुए केवल इस वर्ष हेतु लागु किया गया है।